

डिकरी ब मुकदमें इब्दाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जबा दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर

मुकाम

व

पीठाधीन अधिकारी श्री रामराज वर्मा R.A.S.

पीठाधीन पदाधि श्री प्रती कंवरी माडि

दावा बाबत

मुकदमा नं० 39/13 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु

हाजरी श्री रामराज वर्मा 15 मिनजानिब मुद्दई व अजराय सिंह 45


मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः वादी गण व गौण प्रतिवादी गण का दावा व फ़ौरन दावा प्रतिकारी सं. 1 ता 5 का अंतिम रूप से इसी सिमा जाता है कि खेत ख.सं. 623 वाले रोहि लाल गण की ज़मीन का वर्तमान रवावे दारी प्रतिवादी गण सं. 1 ता 5 के नाम अंततः 5 के होने के कारण उनका नाम रवावे जाकर वर्तमान रिकार्ड को समोचित व उकलत कर खेत ख.सं. 623 तादारी 14. 5434 हे० 2 कि पंजीकृत व रजिस्ट्रार नामा रिकार्डित 2/3/1963 के आचार पर वादी का लूग 1/56 हिस्सा वादी पीठाधीन 1/8 हिस्सा वादी न-दादाध 1/8 हिस्सा गौण प्रतिवादी सं. 9 ता 12 उत्तेका का 1/8 हिस्सा गौण प्रतिवादी सं. 13 ता 18 उत्तेका का 1/56 हिस्सा व गौण प्रतिवादी सं. 19 ता 22 उत्तेका का 1/32 हिस्सा के रकतेदार के घोषित किया जा रहा है तथा खेत ख.सं. 624 वाले रोहि लाल गण की ज़मीन की वर्तमान रवावे दारी वादी गण व गौण प्रतिवादी के नाम अंततः दर्ज होने के कारण उनका नाम रवावे जाकर वर्तमान रिकार्ड को उकलत व समोचित कर खेत ख.सं. 624 तादारी 14. 6698 हेक्टर ज़मीन विक्रम पत्रों के आचार पर प्रतिवादी सं. 01 के क्वडी डी को 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं 2

चीज मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसलमाबी तक को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 07 2022




दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जादीवादी			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
बीजान			बीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

* बुचाणम को 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 सेती को 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 जजुराम को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 हुकमाम को 1/4 हिस्सा के बालेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार बालेदारी नकल रिकार्ड में सं. सं. 623 की जारीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम व सं. सं. 624 की (बालेदारी) प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिअ निरमिषे चलाशा ले वर्जित किया जा रहा है कि लेख सं. सं. 623 की भूमि में जारीगण के कब्जा कायत उपयोग उपभोग में कोई हल्लादानी नही देवे और नही विक्रय हल्लादानी करे तथा जारीगण व गौण प्रतिवादीगण को जरिअ निरमिषे चलाशा ले वर्जित किया जा रहा है कि लेख सं. सं. 624 की भूमि में प्रतिवादीगण के कब्जा कायत उपयोग उपभोग में हल्लादानी नही करे और नही विक्रय हल्लादानी करे। प्रतिवादी सं. 8 को आदेश दिया जाता है कि निर्गम व डिडी के प्रारंभिक 21 मल्ल रिकार्ड में आदेश समाप्त करे। स्वयं हुकदामा पक्षकाराने अपना वला करे।


उपखण्ड अधिकारी
बीदासर